उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-70/2015/2830/92-1-2015-58(जॉच)/2014,
लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के आदेश सं0-617/92-2013-93(अधि0)/2012, दिनांक 28-02-2013 द्वारा श्री मसीउददीन हसन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा में अधिशासी अभियंता के रिक्त पद के कार्यों को अपने मूल पद के कार्यों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों तक, सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था, किन्तु शासन के संज्ञान में यह आया कि शासन के आदेशों के बावजूद बिना प्राधिकार के श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झॉसी द्वारा अपने आदेश सं0-257/ग्रा0अ0वि0/स्था0/व्य0प0/2013-14, दिनांक 17-5-2013 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बांदा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा के अधिशासी अभियंता के कार्यों को अपने कार्यों के साथ-साथ सम्पादित करने हेतु अधिकृत कर दिया गया। शासन के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करने के लिये शासन के पत्र संख्या-2715/92-2014-58जॉच/2014, दिनांक 10-7-2014 द्वारा श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झाँसी सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता (प0क्षे0) को निम्नानुसार स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया :-

"शासनादेश सं0-617/92-2013-93(अधि0)/2012, दिनांक 28-02-2013 द्वारा श्री मसीउददीन हसन, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा में अधिशासी अभियंता के रिक्त पद के कार्यों को अपने कार्यों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों तक सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। आप द्वारा अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-झॉसी के अपने कार्यकाल में उक्त शासनादेश दिनांक 28-02-2013 में निर्गत आदेशों के विपरीत तथा शासन की अनुमति प्राप्त किये बगैर स्वयं से अपने कार्यालय आदेश सं0-257/ग्रा0अ0वि0/स्था0/व्य0प0/2013-14, दिनांक 17-5-2013 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बांदा को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बांदा में अधिशासी अभियंता के कार्यों को अपने कार्यों के साथ-साथ सम्पादित किये जाने हेतु अधिकृत करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किये गये, जिस हेतु आप सक्षम प्राधिकारी नहीं थे।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में श्री गर्ग को अनुस्मरण पत्र संख्या-2715(1)/92-2014-58जॉच/2014, दिनांक 8-8-2014 एवं पत्र सं0-5434/92-2014-58जॉच/2014, दिनांक 02-12-2014 भी प्रेषित कर स्पष्टीकरण/उत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में श्री गर्ग के पत्र संख्या-जी-62/एस0टी0-सी0टी0ई0/2090- व्यप0/2014-15, दिनांक 04-12-2014 द्वारा अपना उत्तर उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अपना उत्तर पूर्व में दिनांक 20-9-2014 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। श्री गर्ग द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने स्पष्टीकरण/उत्तर में मुख्य रूप से निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किया गया :-

(1) शासन के आदेश दिनांक 28-2-2013 द्वारा प्रखण्ड-बांदा के कार्यों के लिये अधिकृत अधिशासी अभियंता, चित्रकूट द्वारा प्रखण्ड-बांदा के कार्यों में न तो रूचि ली जा रही थी और न ही जिला प्रशासन की बैठकों में भाग लिया जा रहा था।

(2) आयुक्त, जिलाधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव महोदय से मौखिक रूप से सहमति लेने के उपरान्त परिस्थितियोंवश शासकीय कार्यहित में पत्रांक-259/दिनांक 17-5-2013 द्वारा सभी कारण स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुये पी0आई0यू0-1 बांदा में कार्यरत श्री एन0के0 त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता को अपने कार्यों के साथ-साथ प्रखण्ड-बांदा का कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया।

(3) संदर्भित आदेश में यह भी उल्लिखित किया गया था कि उक्त व्यवस्था शासन द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(4) संदर्भित आदेश की प्रति उनकी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) तथा बांदा/चित्रकूट के जिलाधिकारी को भी प्रेषित की गयी थी, किन्तु किसी भी उच्च स्तर से संदर्भित आदेश को निरस्त किये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(5) श्री गर्ग के स्थानांतरण के पश्चात उनके पद पर कार्यरत परिमण्डलीय अधिकारी द्वारा भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(6) उक्त से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया गया आदेश कार्यहित में माना गया, जिस पर उच्चाधिकारी सहमत थे, इसलिये उक्त आदेश का कोई संशोधन या निरस्तीकरण किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा नहीं जारी किया गया।

3- श्री गर्ग के उक्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अधिशासी अभियंता पद के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं। अतः अधिशासी अभियंता पद पर तैनाती अथवा अस्थायी व्यवस्था में किसी अन्य अधिशासी अभियंता को किसी आकस्मिक रिक्ति के दृष्टिगत रिक्त अधिशासी अभियंता के पद के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश शासन द्वारा ही निर्गत किये जाने चाहिये। स्पष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पद के कार्यों हेतु अधिकृत किया गया। आपका उक्त कृत्य शासन के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना और आपको प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण किया जाना परिलक्षित करता है। आपके उक्त कृत्य के लिये आपको एतदद्वारा **'परिनिन्दित'** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-70 /2015/2830(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की प्रति श्री अनिल कुमार गर्ग को तामील कराकर प्राप्ति रसीद शासन को तीन दिनों में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्री अनिल कुमार गर्ग, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-झाँसी सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता (प0क्षे0), उ0प्र0, लखनऊ।

4- श्री अनिल कुमार गर्ग की चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।